...य उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

...या : 128/2015

1. गौरीशंकर पुत्र कालूलाल जाति रेगर निवासी वार्ड नं0 14 मांगरोल जिला बारां

.....वादी

♠ बनाम ♠

1. संजय पुत्र लक्ष्मीनारायण
2. धनराज पुत्र लक्ष्मीनारायण

जाति रेगर निवासी मण्डी के सामने मांगरोल जिला बारां

3. मोहन लाल पुत्र जमनालाल
4. कस्तूरचंद पुत्र जमनालाल
5. खेमराज पुत्र जमनालाल

जाति रेगर निवासी मण्डी के सामने मांगरोल जिला बारां

6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री कर्मवीर शर्मा

वकील प्रतिवादीगण : श्री मनोज गालव

दायरा दिनांकः 17.07.2015 निर्णय दिनांक : 26.04.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के खाते की आराजी भूमि खसरा नं0 245 उत्तरी रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 4378 रकबा 0.55 है0, खसरा नं0 4573 रकबा 0.20 है0 कुल किता 3 रकबा 1.21 है0 मुताबिक जमाबंदी हाल खाता संख्या 131 वाके ग्राम मांगरोल स्थित हैं। वादी की खाते की आराजी से प्रतिवादी कम 1 ता 5 का दूर दूर तक कोई संबंध नही है। प्रतिवादीगण की खाता आराजी का खसरा नं0 4392 वादी की खाता आराजी की मेड से लगी है जो मेड कम से कम 30 वर्ष पुरानी है। बिना वादी की जानकारी के प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 23.06.2015 भूमि पटवारी से पेमाईश इस प्रकार करवायी है कि प्रतिवादीगण वादी की भूमि को हाकन पर आमादा है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि सादर डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादी की खाता आराजी वाके ग्राम मांगरोल की खाता संख्या 131 खसरा नं0 245 उत्तरी

खसरा नं0 4378 रकबा 0.55 है0, खसरा नं0 4573 रकबा 0.20 है0 कुल किता 3 रकबा 1. सी प्रकार की दखलअंदाजी न करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।

क्त आशय का वाद पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 17.07.2015 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। दीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण कम 1 ता 5 की ओर से वकील श्री मनोज ार गालव ने वकालत नामा प्रस्तुत किया

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी मांगरोल सम्वत 2069–2072 पेश किये गये जो शामिल फायल है।।

हमने पत्रावली में संलग्न प्रदर्शो, साक्ष्य एवं दस्तावेजो का अद्योपान्त अवलोकन, अध्ययन व मनन किया। वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण कम 1 ता 5 की अन्तिम बहस दिनांक 26.04.2018 सुनी गयी। बहस में वकील वादीगण ने उन्ही तथ्यो का कथन किया है जिसे वकील वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकन किया है। वकील प्रतिवादी कम 1 ता 5, वादी द्वारा किये गये कथन से पूर्ण सहमत है। वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादीगण कम 1 ता 5 वादी की खाते की आराजी वाके ग्राम मांगरोल की खाता संख्या 131 खसरा नं0 245 उत्तरी रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 4378 रकबा 0.55 है0, खसरा नं0 4573 रकबा 0.20 है0 कुल किता 3 रकबा 1.21 है0 पर किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करते है व अपने खाते की आराजी पर काबिज होकर शांतीपूर्वक काश्त कर रहे है। सुनी गयी अन्तिम बहस से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचा है कि वादी व प्रतिवादीगण कम 1 ता 5 अपनी अपनी आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है एवं दोनो परस्पर एक दूसरे की आराजी में हस्तक्षेप नही करते है। अतः प्रतिवादीगण कम 1 ता 5 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर आदेशित किया जाता है कि वादी की खाते की आराजी वाके ग्राम मांगरोल की खाता संख्या 131 खसरा नं0 245 उत्तरी रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 4378 रकबा 0.55 है0, खसरा नं0 4573 रकबा 0.20 है0 कुल किता 3 रकबा 1.21 है0 पर किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे। तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया जाता है कि पटवारी पटवार हल्का मांगरोल को निर्देशित कर वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 5 की खाते की आराजी का सीमाज्ञान वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 5 को मौके पर करवाया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करें। पत्रावली फैशल शुमार हो निर्णय से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।